3258

"मेरठ जनपद में शिक्षित बेरोजगारों हेतु क्रियान्वित प्रधानमंत्री रोजगार योजना का मूल्यांकनः एक भौगोलिक अध्ययन"

(17)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में
भूगोल विषय में
पी०एच०डी० उपाधि प्राप्त करने हेतु

प्रस्तुत शोध मौखिकी सारांश

शोध निर्देशक :
डॉ० नरेश कुमार
एम.ए.,पी–एच.डी.
एल–एल.बी.,डी.लिट्.
एसोसिएट प्रोफेसर

Ramkumar
शोधार्थी :
रामकुमार
एम.ए., एम. फिल्
(भूगोल)

शोध केन्द्र
भूगोल विभाग
मेरठ कॉलिज, मेरठ

"मेरठ जनपद में शिक्षित बेरोजगारों हेतु क्रियान्वित प्रधानमंत्री रोजगार योजना का मूल्यांकन : एक भौगोलिक अध्ययन"

प्रस्तावना–

गरीबी और रोजगार के बीच एक प्रमुख सम्बन्ध है इसलिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के पहले चरण में, रोजगार सृजन और संपत्ति निर्माण को प्रमुख रणनीतियों के रूप में अपनाया गया। यह गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें आत्म निर्भर बनाने के इरादे से था। देश में अब चार दशकों से अधिक समय से रोजगार सृजन कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें विभिन्न पहलुओं और विशिष्ट लक्ष्य समूहों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। विशिष्ट ग्रामीण आधारित रोजगार सृजन कार्यक्रम और नगरीय केंद्रित रोजगार सृजन कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों में रोजगार सृजन के मुद्दे को विभिन्न तरीकों से निपटाया जाता है। यह एक स्थायी आय सृजन और कौशल निर्माण के लिए न्यूनतम मजदूरी रोजगार (रोजगार आश्वासन योजना) प्रदान करके एक अस्थायी आय आश्वासन से शुरू होता है। केंद्रीय रणनीति रोजगार सृजन है इसलिए इसे कार्यक्रम के संदर्भ में समीक्षा करने की आवश्यकता है।

जनपद मेरठ का क्षेत्रफल 2522 वर्ग किमी है। मेरठ जनपद की जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार 34,43,689 है तथा जन घनत्व 1346 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 है। जनपद में तीन तहसील (सरधना, मवाना तथा मेरठ) है तथा 12 विकास खण्ड (सरूरपुर, सरधना, दौराला, मवाना, हस्तिनापुर, परिक्षितगढ़, माछरा, रोहटा, जानी खुर्द, मेरठ, रजपुरा, व खरखौदा) में विभक्त है। जनपद मेरठ में 91 न्याय पंचायते एवं 460 ग्राम पंचायत है तथा आबाद ग्रामों की संख्या 604 है एवं गैर आबाद ग्राम 63 हैं।

शोध के उद्‌देश्य :–

अध्ययन में निम्न उद्देश्य की पूर्ति की गयी है–

1. प्रधानमंत्री रोजगार योजना के संकल्पनात्मक स्वरूप, क्रियान्वयन स्वरूप तथा क्रियान्वियन के चरणों का अध्ययन करना।
2. निदर्शिको प्रदत्त ऋण विदोहन का मूल्यांकन करना।
3. निदर्शितों को प्रदत्त ऋण की ऋण अदायगी का मूल्यांकन करना।

4. निदर्शितों को प्रदत्त ऋण के सापेक्ष होने वाले लाभ का वि'लेषण करना।

5. प्रधानमंत्री रोजगार योजना के सापेक्ष लाभान्वितों के दृष्टिकोण तथा व्यावहारिक समस्याओं को ज्ञात करना।

6. क्षेत्रफल एवम् जनसंख्या के आधार पर लाभार्थियों का अनुपात ज्ञात करना तथा रोजगार प्रजनन की विसंगतियों को इंगित करना।

शोध की परिकल्पनायें :–

अनुसंधान की सैद्धान्तिक तथा आनुभाविक यथार्थता जानने के लिए अग्रलिखित परिकल्पनाओं का परिक्षण किया गया है–

1. प्रधानमंत्री रोजगार योजना में बेरोजगार युवकों की तुलना में बेरोजगार युवतियों में सहभागिता अत्यन्त सकारात्मक रूप से पायी गयी है।

2. प्रधानमंत्री रोजगार योजना का विधान शिक्षित बेरोजगारों के अनुकूल सकारात्मक रूप से पाया गया है।

3. प्रधानमंत्री रोजगार योजना की वित्तीयन प्रणाली सकारात्मक रूप से सरल एवं सहज पायी गयी है।

4. लाभान्वितों द्वारा स्वीकृत उद्दे'य हेतु ही वित्त का प्रयोजन लगभग दो तिहाई है, ऐसा सकारात्मक रूप से पाया गया है।

5. प्रधानमंत्री रोजगार योजना से लाभान्वित हुए बेरोजगार व्यक्ति आर्थिक दृष्टिकोण से स्वालम्बी हुए हैं ऐसा धनात्मक पाया गया है।

6. योजनान्तर्गत लाभ की सीमा तथा शिक्षा के मध्य धनात्मक सम्बन्ध पाया गया है।

7. शैक्षणिक स्तर बचत को धनात्मक रूप से प्रभावित करता है ऐसा सकारात्मक पाया गया है।

विधितंत्र, समंको का संकलन एवं प्रस्तुतीकरण :–

प्रस्तुत शोध कार्य में जनसंख्या से सम्बन्धित सूचनाएँ जनगणना सार पत्रों (2001 व 2011) से प्राप्त की गई हैं। इन सूचनाओं में जनसंख्या घनत्व व साक्षरता आदि कारक सम्मिलित हैं। आर्थिक चरों से सम्बन्धित सूचनाएँ सांख्यिकी विभाग मेरठ से एकत्रित की गई हैं। जल वृष्टि, तापमान व आर्द्रता सम्बन्धी अन्य कारकों से सम्बन्धित सूचनाएँ मौसम विभाग

के स्थानीय केन्द्र मेरठ शहर से प्राप्त की गई हैं। मिट्टी से सम्बन्धित सूचनाएँ मिट्टी शोध संस्थान मेरठ से ली गई हैं।

प्रस्तुत शोध प्रबंध में अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनो प्रकार के स्त्रोतों का उपयोग किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी और उनके अध्ययन के लिए द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है।

शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए एक जनगणना पद्धति का उपयोग किया है। अपेक्षित आँकड़े प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों से प्राप्त किये गये है। अधिकारिक स्रोत में डी0आई0सी0, बैंकों और प्रशिक्षण संस्थानों के आँकड़े प्राप्त किए है। संबंधित एजेंसियों अर्थात जनपद उद्योग केंद्र, बैंक शाखाओं, लाभार्थियों, प्रशिक्षण संस्थानों, अयोग्य इकाइयों, आदि से जानकारी के संग्रह के लिए अलग–अलग अनुसूचियों का उपयोग किया गया है। आँकड़ों के आधार पर लाभार्थियों के बारे में जानकारी एकत्र की गई है।

मेरठ जनपद में तीन प्रमुख नदियाँ है, पूर्वी सीमा पर गंगा नदी, प"चिमी सीमा पर हिण्डन नदी तथा मध्य में काली नदी प्रवाहित होती हैं।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 1993 को प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी0एम0आर0वाई0 योजना) की घोषणा की थी। इस योजना को 2 अक्टूबर 1993 को पूरे देश में महात्मा गांधी की जयंती के शुभ दिन पर शुरू किया गया था। पी0एम0आर0वाई0 योजना का मुख्य उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र में अपने स्वयं के उद्योग प्रारम्भ करने के लिए शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आसान रियायती वित्तीय सहायता, व्यापार क्षेत्र के कार्यो को प्रारम्भ करने के लिए प्रदान किया गया था।

ताकि, परियोजना लागत के 20 प्रतिशत पर सब्सिडी और मार्जिन योगदान हो सके। परियोजना लागत की ऊपरी सीमा में वृद्धि का संषोधित वित्तीय मानक 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये दिनांक 1–4–1999 से प्रभावी हुआ। पी0एम0आर0वाई0 योजना के मानक में किए गए परिवर्तनों का विवरण नीचे दिया गया है :–

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के क्रियात्मक विवेचन को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है:–

1. लक्ष्य तय करना :– मूल रूप से ये लक्ष्य अप्रैल से मार्च तक शुरू होने वाले साल के लिए आवंटित किये जाते हैं। ये लक्ष्य लघु उद्योग विकास आयुक्त द्वारा आबादी के महत्वपूर्ण कारकों क्षेत्रों में बेरोजगारी और पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए तय किये गये हैं। एक वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों की नियमित रूप से नगरानी की जायेगी और वर्ष के लिए ऋण और प्रदर्शन की वसूली को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जा सकता है।

2. राज्यों द्वारा लक्ष्य का आवंटन :– राज्य सरकार उन राज्यों के जिलों के सभी जिला उद्योग केंद्रों (डी0आई0सी0) को लक्षित करती है, जहाँ यह योजना प्रचलन में है, उदाहरणार्थ– जैसे कि राज्य उत्तर प्रदेश अपने सभी जिलों में प्रधानमंत्री रोजगार योजना लागू कर रहा है, जिसमें लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, गाजियाबाद, बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर आदि जनपद शामिल हैं।

3. बैंकों को वित्तीय लक्ष्य का आवंटन :– डी0आई0सी0 के साथ–साथ बैंक ऋण की मंजूरी के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों का एक हिस्सा भी बनाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक, ग्रामीण नियोजन और साख विभाग (आर0पी0सी0डी0) को राज्यों को आवंटित लक्ष्यों के बारे में सूचित करता है।

4. प्रधानमंत्री रोजगार योजना अनुप्रयोगों के लिए बुलावा :– प्रधानमंत्री रोजगार योजना (डी0आई0सी0) बैंकों के साथ–साथ प्रत्येक जिले के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन एजेंसी होने के कारण लोगों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना ऋण के लिए आवेदन करने के लिए कहता है। आवश्यक आवेदन पत्र सम्बन्धित क्षेत्रों के स्थानीय उद्योग संवर्धन अधिकारियों और स्थानीय बैंकों के साथ डी0आई0सी0 में उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र एक सरल प्रारूप है, जो उम्मीदवार के मूल विवरण की मांग करता है।

शोधार्थी ने अपने शोध कार्य मेरठ जनपद में शिक्षित बेरोजगारों हेतु क्रियान्वित प्रधनमंत्री रोजगार योजना का मूल्यांकन एक : भौगोलिक अध्ययन के वास्तविक धरातलीय रूप को जानने हेतु तथा अनुसंधान की सैद्धान्तिक तथा अनुभाविक सत्यता जानने के लिय परिकल्पनाओं का निर्माण एवं चयन किया था, जिनकी सत्यता एवं सार्थकता का परीक्षण सामाजिक आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करने के दृष्टिकोण से 50–50 सूचनादाताओं का पृथक–पृथक चयन अर्थात जनपद मेरठ की तीन तहसील (मेरठ, मवाना, सरधना) से अर्थात

150 सूचनादाताओं का चयन शोध कार्य की वस्तुनिष्ठा प्रदान करने हेतु किया गया हैं। इस अध्ययन में चयनित सूचनादाताओं से प्राप्त आँकड़ों के वि'लेषण से प्राप्त मौलिक निष्कर्ष से व्यवहारिक सुझावों को प्रस्तुत किये गये हैं।

निष्कर्ष–

1. जनपद मेरठ में तीन प्रमुख नदियाँ है। पूर्वी सीमा पर गंगा नदी, पश्चिमी सीमा पर हिण्डन नदी तथा मध्य में काली नदी प्रवाहित होती हैं।

2. भारत में वर्ष 2011 के अनुसार लिंगानुपात 940 है तथा उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 908 है परन्तु जनपद मेरठ का लिंगानुपात 882 है, जो भारत तथा उत्तर प्रदेश की अपेक्षा बहुत ही कम है। अध्ययन क्षेत्र को तीन वर्गो में विभाजित कर लिंग संरचना अथवा लिंगानुपात का अध्ययन किया गया है।

3. प्रधानमंत्री रोजगार योजना नए रोजगार सृजन के लिए शिक्षित बेरोजगार युवा को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गयी है। जहां एक ओर, शिक्षित बेरोजगार युवा रोजगार के आधार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वही दूसरी तरफ बड़ी संख्या में बेरोजगारों को ऐसे प्रतिष्ठानों में रोजगार मिलेगा। जिसका सीधा लाभ आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को पहुँचेगा, विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगार युवा की आर्थिक–सामाजिक लाभों तक पहुंच प्राप्त होगी।

4. प्रधानमंत्री रोजगार योजना नए रोजगार सृजन के लिए शिक्षित बेरोजगार युवा को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गयी है। जहां एक ओर, शिक्षित बेरोजगार युवा रोजगार के आधार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वही दूसरी तरफ बड़ी संख्या में बेरोजगारों को ऐसे प्रतिष्ठानों में रोजगार मिलेगा। जिसका सीधा लाभ आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को पहुँचेगा, विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगार युवा की आर्थिक–सामाजिक लाभों तक पहुंच प्राप्त होगी।

5. पी0एम0ई0जी0पी0 योजना में ऋण प्राप्त करने की न्यूनतम शैक्षिक स्तर आठवी पास है, जो व्यक्ति लिखना–पढ़ना जानता है और कक्षा आठ तक पढ़ा है वह व्यक्ति पी0एम0ई0जी0पी0 योजना मे आवेदन कर सकता हैं तथा अपने प्रोजेक्ट के आधार पर ऋण लेने के लिए सभी

आवश्यक कार्यवाही और आवेदन प्रशिक्षण इत्यादि लेकर प्रोजेक्ट ऋण ले सकता हैं। वर्ष 2016–17 के आँकड़ो से ज्ञात हुआ है कि इस योजना में लाभार्थी केवल आठवी पास नहीं है बल्कि उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी इस योजना में ऋण प्राप्त कर स्वःरोजगार कर रहे हैं।

6. प्रधानमंत्री रोजगार योजना नए रोजगार सृजन के लिए शिक्षित बेरोजगार युवा को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गयी है। जहां एक ओर, शिक्षित बेरोजगार युवा रोजगार के आधार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वही दूसरी तरफ बड़ी संख्या में बेरोजगारों को ऐसे प्रतिष्ठानों में रोजगार मिलेगा। जिसका सीधा लाभ आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को पहुँचेगा, विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगार युवा की आर्थिक–सामाजिक लाभों तक पहुंच प्राप्त होगी।

सुझाव–

समाचार :– यहां जनसम्पर्क विभाग का काम, खादी एवं ग्रामोद्योग वस्तुओं के बारे में समाचार प्रसारित करना है, जिससे कि जन साधारण में खादी एवं ग्रामोद्योग के प्रति अच्छी भावना पैदा हो सके। कभी–कभी यह विभाग खादी एवं ग्रामोद्योग की क्रियाओं की जानकारी भी देता है। इस प्रकार समाचार के माध्यम से खादी एवं ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

2. **भाषण** :– भाषण भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी0एम0ई0जी0पी0) के लिए प्रचार का कार्य करते है। अतः यह भी जनसम्पर्क का एक उपकरण है। इसमें समय–समय पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी0एम0ई0जी0पी0) के संचालक या अधिकारियों का भाषण समाचार–पत्रों में छपवाया जाता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक की कार्यवाही समाचार–पत्रों में छपवाई जाती है या विक्रय सम्मेलनों का विवरण व कार्यवाही समाचार के रूप में प्रस्तुत की जाती है। इन सभी से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी0एम0ई0जी0पी0) की छवि में उभार आता है।

3. **विशिष्ट घटनाएँ** :– विशेष घटनाओं के माध्यम से भी जनसम्पर्क क्रियायें की जा सकती हैं, जैसे प्रेस वालों को देशाटन के लिए भेजना, या नए कार्यालय खोलने की सूचना देना या कोई नवीन विज्ञापन का तरीका अपनाना जैसे आकाश में गुब्बारे उड़ाना।

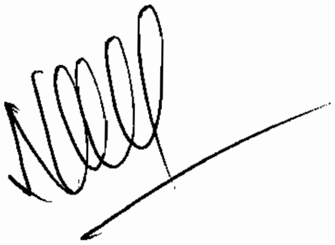

4. छपा साहित्य :– जन सम्पर्क विभाग ऐसे साहित्य को तैयार करता है और छपवाता है जिससे कि लक्षित व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके।

5. दृश्य–श्रृव्य साहित्य :– कभी–कभी फिल्म, स्लाइड, वीडियों कैसेट आदि के माध्यम से भी जन सम्पर्क किया जाता है। इसमें चलचित्रों में या फिर जन–समूह के स्थानों पर इनको दिखाने की व्यवस्था की जाती है, जिसके लिए कोई लागत देखने वालों से नहीं ली जाती है। आज के इस युग में इस माध्यम का बहुत महत्व है और यह संचार का महत्वपूर्ण साधन है।

6. संस्था पहचान साहित्य :– इसमें संस्था के सभी वाहनों, छपे साहित्य जैसे, ब्रोशर, स्टेशनरी, व्यापारिक कार्ड आदि सभी पर संस्था का पहचान चिह्न छपा रहता है जिसको पहचान कर संस्था के बारे में स्वतः ही ज्ञान हो जाता है।

7. जन साधारण सेवाएँ :– जब जन साधारण की सेवा करने वाली संस्थाओं में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी0एम0ई0जी0पी0) या किसी अन्य रूप से खादी ग्रामोद्योग या अन्य उद्योग उस सेवा करने वाली संस्था की सहायता करती है तो यह भी जनसम्पर्क का एक साधन है, इससे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी0एम0ई0जी0पी0) ख्याति बढ़ती है।

8. वेबसाइट :– आज के इस सूचना व टैक्नोलॉजी के युग में वेबसाइट भी एक महत्वपूर्ण जन सम्पर्क का साधन बन गया है, हम अपने घर या ऑफिस में कम्प्यूटर के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी0एम0ई0जी0पी0) की वेबसाइट खोलकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी0एम0ई0जी0पी0) के बारे में

जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आजकल लोग नेट को सूचनाओं के लिए देखते हैं। वे विक्रयकारी का इंतजार नहीं करते हैं।

9. खादी एवं ग्रामोंद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल की मांग एवं पूर्ति में संतुलन बनाकर, उपयुक्त भण्डारण की सुविधा प्रदान करके एवं पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराने में केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। बोर्ड द्वारा जिले में खादी एवं ग्रामोद्योग व अन्य उद्योग के लिए रियायती दर पर ब्याज उपलब्ध कराया जाना चाहिए एवं

ऋण देने एवं प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाये ताकि आम आदमी भी इसका लाभ प्राप्त कर सके।

10. वर्तमान प्रतिस्पर्धा के इस युग में उद्योगों के उत्पादनों के तरीकों में बदलाव करना होगा एवं परंपरागत तरीकों को छोड़कर आधुनिक तकनीक एवं मशीनों का प्रयोग कर गुणवत्ता को बढ़ाया जाना चाहिए। जनपद मेरठ में खादी एवं ग्रामोद्योगिक इकाई हेतु शासन द्वारा विपणन सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है। गांव एवं शहरों में सरकारी प्राधिकरणों द्वारा बनाये गये वाणिज्यिक कॉम्पलेक्स में खादी एवं ग्रामोंद्योग की वस्तुओं के लिए विपणन केन्द्र बनाने की आवश्यकता है।

11. योजनाबद्ध विकास के लिए आयोग एवं राज्य शासन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निश्चित धनराशि प्रदान करने का प्रावधान होना चाहिए। हितग्राहियों को अनुदान की राशि नगद देनी चाहिए ताकि वे उसका प्रत्यक्ष लाभ ले सकें।

12. बोर्ड एवं आयोग द्वारा हितग्राहियों को उद्योग स्थापना से लेकर माल की विपणन प्रक्रिया तक मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। राज्य शासन की वित्तीय।

13. हितग्राहियों में साहस का विकास करने के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और प्रशिक्षण मेरठ नगर में न देकर गांव में शिविर स्थापित कर दिया जाना चाहिए। रूग्ण इकाईयों की समस्या का समाधान कर उन्हें अच्छी दशा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

14. गांवों में पानी की व्यवस्था के लिए तालाब, कुएँ, बाँध, नहर आदि का निर्माण किया जाना चाहिए। खादी एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने हेतु बोर्ड द्वारा जिले की आर्थिक एवं औद्योगिक स्थिति का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता है।

15. राज्य शासन एवं बोर्ड द्वारा कुशल हितग्राहियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। जनपद मेरठ में बोर्ड द्वारा उत्पादित कार्य बहुत सीमित है। जनपद मेरठ में नई संस्थाओं का गठन कर और अधिक उत्पादन केंद्र प्रारंभ किए जाने चाहिए।